रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1698] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937
No. 1698] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015/SRAVANA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

का.आ. 2194(अ).--स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिंस्टेंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कन्वेंशन कहा गया है) 17 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ और भारत ने उक्त कन्वेंशन का अनुसमर्थन 13 जनवरी, 2006 को किया;

उक्त कन्वेंशन के एनैक्स 'ए' में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स को 2025 तक उपयोग से हटाने के लिए लगातार जैविक प्रदूषकों में से एक के रुप में और 2028 तक संचयों और अपशिष्ट से घटाने या हटाने के लिए उपाय अपनाने हेतु सूचीबद्ध किया गया है;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर या निपटान किए गए पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात या निर्यात को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना उससे संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

यदि कोई व्यक्ति या संगठन प्रारुप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर सुझाव या आक्षेप देना चाहे तो वह लिखित में, अपने सुझाव या आक्षेप डाक द्वारा या फैक्स द्वारा केंद्रीय सरकार के विचारार्थ साठ दिन के भीतर श्री राम निवास जिंदल, निदेशक (एस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली – 110003; (ई-मेल: rnjindal@yahoo.com; फैक्स 011-24695387) को भेज सकेगा ;

अत: केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

प्रारुप आदेश

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स आदेश का विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का निर्माण, निर्यात और पाबंदी - भारत में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के निर्माण और आयात पर इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पाबंदी होगी ।

3. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर का आयात - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर के आयात पर इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पाबंदी होगी ।

4. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का आयात, निर्यात या व्यापार - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का आयात, निर्यात या व्यापार परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

5. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का प्रतिषेध - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का उपयोग किसी भी रुप में 31 दिसंबर, 2025 से पूर्णतया प्रतिषिद्ध होगा ।

6. सुरक्षा उपाय - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर का उपयोग उनके प्रमाणित जीवन काल या 31 दिसंबर, 2025, जो भी पूर्वतर हो, तक अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनका अनुरक्षण उचित प्रकार से पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के रिसाव की संभावना के बिना किया जाए ।

7. संख्या, मात्रा और उपस्कर इत्यादि :- अधिभोगी पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स की कुल मात्रा, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्करों की संख्या, जो प्ररुप ए पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स सूची प्ररुप के अनुसार उपयोग में और उनके संचयों में हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर घोषित करेगा ।

8. पूर्वावधानी – अधिभोगी त्रुटियुक्त, बेकार पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट या संदूषित उपस्कर या उपयोग में लाए जाने वाले पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भूमि पर, धरातल जल में या बहि:स्राव उपचार संयंत्र में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स प्रवाहित नहीं करेगा ।

9. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का निपटान-अपशिष्ट पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का निपटान परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन)नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

10. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए उपयोग – पूर्वगामी पैरों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का उपयोग, विक्रय और आयात ऐसी मात्रा में जो अनुसंधान और विकास गतिविधियों में यथापेक्षित हो, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थाओं या केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति के पश्चात् किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए --

(क) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें 0.05 प्रतिशत या अधिक पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स $\geq$ 500 एमजी/कि.ग्रा) अंतर्विष्ट हो ।

(ख) संदूषित उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 0.05 प्रतिशत पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा या अधिक परंतु 0.05 प्रतिशत से कम है पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात् 50 एमजी/कि.ग्रा ≤ पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स < 500एमजी/कि.ग्रा) अंतर्विष्ट हो ।

(ग) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषण रहित उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें 0.05 प्रतिशत से कम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स < 50 एमजी/कि.ग्रा.) अंतर्विष्ट हो ।

(घ) विद्युत उपस्करों (ट्रांसफार्मर, कैपिस्टर, इत्यादि) में उपयोग में लाए जाने वाले डाइइलैक्ट्रिक फ्ल्यूड या खनिज तेल का उपयोग निरंतर जारी रखा जाएगा यदि उसमें कोई पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 0.05 प्रतिशत से कम भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स < 50 एमजी/कि.ग्रा.) अंतर्विष्ट हो ।

(ङ) यदि विद्युत उपस्कर में उपयोग में लाए जाने वाले विद्ययुत उपस्कर(ट्रांसफार्मर, कैपिस्टर, इत्यादि), डाइइलैक्ट्रिक फ्ल्यूड या खनिज तेल में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 2एमजी/कि.ग्रा. से कम अंतर्विष्ट है तो उसे पुन:प्रसंस्कृत, रिसाइकिल या पुन:उपयोग में लाया जा सकेगा ।

(च) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट से ऐसी त्यक्त सामग्री या पैकेजिंग अभिप्रेत है जिसमें पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अंतर्विष्ट है या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से संदूषित है, जो बिना किसी सुरक्षित वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या आर्थिक उपयोग की हो ।

[फा. सं. 22-3/2010 –एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

प्ररुप – ए

पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का घोषणा प्ररुप

(पैरा 7 देखें)

(पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स आदेश का विनियमन, 2015 के पैरा 7 के अनुसार अधिभोगी द्वारा आवेदन)

तारीख

प्रेषक

....

....

सेवा में,

एचएसएम प्रभाग
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,जल विंग, जोरबाग रोड
नई दिल्ली 110003

महोदय,

मैं/हम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स आदेश का विनियम, 2015 के पैरा 7 के अधीन पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स की कुल मात्रा, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर, जो उपयोग में है, जो उपयोग में नहीं है या जो अधिभोगी(अधिभोगियों) के रुप में मेरे/हमारे कब्जे में और उनके संचयों में है, को प्रकट करता हूँ ।

भाग – क

साधारण

1. (क) अधिभोगी का नाम

(ख) एकक का नाम और पूर्ण पता, अवस्थिति, संपर्क ब्यौरे (दूरभाष संख्या, फैक्स और ई-मेल) ।

2. अधिभोगी की प्रास्थिति - व्यष्टि/सांपत्तिक समुत्थान/सहभागिता फर्म (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत/संयुक्त कुटुंब समुत्थान/हिंदू अविभाजित कुटुंब/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सरकारी कंपनी: (राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग), कोई अन्य संगम या निकाय

भाग – ख

पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर, जो उपयोग में है और उनके संचयों से संबंधित सूचना ।

1. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर के निर्माता का नाम: (जो उपयोग में है)

2. प्रकार (ट्रांसफार्मर, कैपिस्टर, इत्यादि):

3. निर्माण की तारीख:

4. (क) शुद्ध पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स की कुल मात्रा :

(ख) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर की संख्या:

(ग) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर की संख्या:

(घ) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के संचयों की कुल मात्रा :

5. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के लिए पात्र

(i) क्या पात्र रिसाव – रोधक है : हां/नहीं

(ii) क्या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर के लिए भंडारण का स्थान स्पष्टतया चिन्हित है : हां/नहीं

6. पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का किया गया विश्लेषण : हां/नहीं

यदि हां, तो अनुसरण की गई पद्धति और कब ?

7. फैक्टरी (फैक्टरियों), परिसर(परिसरों) का पता, जहां पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर स्थापित/भंडारित किया गया है (सर्वेक्षण संख्या, खसरा संख्या, ग्राम/नगर, तहसील के राजस्व लेखों के अनुसार, जिला पुलिस स्टेशन, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता) ।

भाग – ग

पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से संभाव्य अंतर्विष्ट अपशिष्ट की सूचना

9. (क) अपशिष्टों की प्रकृति (उदाहरणार्थ – ड्रमों, टैंकरों या जलाशयों में ट्रांसफार्मर तेल):

(ख) प्राक्कलित मात्रा (टनों में)

(ग) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट का भंडारण कैसे किया जाता है, उसका सार:

(घ) क्या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट भंडारण का स्थान स्पष्टतया चिन्हित है: हां/नहीं

भाग-घ

पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स हटाने हेतु कार्य योजना

10. (क) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स हटाने हेतु तैयार की गई कार्य योजना : हां/नहीं

(यदि हां, तो हटाने हेतु समय सीमा सहित प्रति उपलब्ध करवाएं)

(ख) किसी पूर्ववर्ती सुधारात्मक प्रयासों का संक्षिप्त इतिहास, उदाहरणार्थ पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट को निपटान के लिए हटाया जाना (कब, किसके द्वारा, कहां इत्यादि)

भाग-ड.

अन्य सुसंगत सूचना

स्थान, तारीख

आवदेक का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पण – 1. जो लागू/सुसंगत न हों, उसे काट दें ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2015

S.O. 2194(E).—Whereas, the Stockholm convention on Persistent Organic Pollutant (hereinafter referred to as said convention) came into force on 17th May, 2004 and India ratified the said convention on 13th January, 2006;

And whereas, Polychlorinated Biphenyls has been listed as one of the Persistent Organic Pollutants in Annex 'A' of the said convention for elimination of use by 2025 and adopt measure to reduce or eliminate releases from stock piles and waste by 2028;

Whereas, the Central Government proposes to issue the following draft notification under sub- section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986 so as to regulate the manufacture, trade, use, import or, export of Polychlorinated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls containing equipment, Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment or dispose of Polychlorinated Biphenyls waste and the aforesaid draft notification is published for information of all persons and organisations likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said daft notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And, whereas any person or organisation desirous or interested in making any suggestion or objection on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, by mail or by fax for consideration of the Central Government within sixty days to Shri Ram Niwas Jindal, Director(S), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003; (email: rnjindal@yahoo.com; Fax: 011-24695387);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub- section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of the section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby issue the following Order, namely:-

DRAFT ORDER

1. (1) **Short title and commencement.**– This Order may be called, the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2015.

   (2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. **Manufacture, Import and ban of Polychlorinated Biphenyls.-** The manufacture and import of the Polychlorinated Biphenyls in India shall be banned from the date of final publication of this Order.

3. **Import of Polychlorinated Biphenyls containing equipment.-** The import of Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall be banned from the date of final publication of this Order.

4. **Import, export or trade of Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment.-** The import, export or trade of Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall be regulated as per the provisions of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

5. **Prohibition of Polychlorinated Biphenyls**.- The use of Polychlorinated Biphenyls in any form shall be completely prohibited by 31st December, 2025.

6. **Safety measures.-** The use of Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall be permitted for their certified life time or 31st December 2025, whichever is earlier, provided that they are maintained properly without possibility of leakage of Polychlorinated Biphenyls.

7. **The number, quantity and equipment, etc.-** The occupier shall declare the total quantity of Polychlorinated Biphenyls, the number of Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment which are in use and their stockpiles, as per Polychlorinated Biphenyls inventory form as per Form 'A', to the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India, within six months from the date of final publication of this Order.

8. **Precaution.-** The occupier shall not drain or discharge Polychlorinated Biphenyls directly or indirectly on land, in surface water or effluent treatment plant from defective, out of use Polychlorinated Biphenyls containing or contaminated equipment or in use Polychlorinated Biphenyls containing equipment.

9. **Disposal of Polychlorinated Biphenyls.-** The waste Polychlorinated Biphenyls or Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall be disposed of as per the provisions of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

10. **Use of Polychlorinated Biphenyls for scientific purpose**.- Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, Polychlorinated Biphenyls may be used, sold and imported in quantities as required for research and development activities in Central Universities, Council of Scientific and Industrial Research Laboratories, Government Institutions or Central Power Research Institute after the concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Explanation.**-** For the purpose of this notification.-

(a) Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall mean any equipment that contains 0.05 per cent. or more Polychlorinated Biphenyls by weight (i.e Polychlorinated Biphenyls $\geq$ 500 mg/kg).

(b) Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall mean any equipment that contains 0.005 per cent. Polychlorinated Biphenyls by weight or more but less than 0.05 per cent. Polychlorinated Biphenyls by weight (i.e 50 mg/kg $\leq$ Polychlorinated Biphenyls $<$ 500 mg/kg) .

(c) Polychlorinated Biphenyls contamination free equipment shall mean any equipment that contains Polychlorinated Biphenyls less than 0.05 per cent. by weight (ie. Polychlorinated Biphenyls $<$ 50 mg/kg).

(d) A dielectric fluid or, mineral oil used in the power equipments (transformer, capacitor, etc.) shall continue to be used if, it contains Polychlorinated Biphenyls less than 0.05 per cent. by weight (ie. Polychlorinated Biphenyls $<$ 50 mg/kg).

(e) If a power equipment (transformer, capacitor, etc.), dielectric fluid or mineral oil used in power equipment contain Polychlorinated Biphenyls less than 2 mg/kg, it could be reprocessed, recycled or reused.

(f) Polychlorinated Biphenyls waste means discarded materials or packaging that contains Polychlorinated Biphenyls or has been contaminated with Polychlorinated Biphenyls that are without any safe commercial, industrial, agricultural or economic usage.

[F. No. 22-3/2010 -HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Form-A

DECLARATION FORM FOR POLYCHLORINATED BIPHENYLS

(See paragraph 7)

[Application by an occupier as per paragraph 7 of the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2015.]

Date

From

____

____

____

To

HSM Division,

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Indira Paryavaran Bhawan

Jal Wing, Jor Bagh Road, New Delhi-110003

Sir,

I/We hereby disclose under paragraph 7 of the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2015, the total quantity of Polychlorinated Biphenyls, the number of Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment, which are in use, not in use or in my/our possession and their stockpiles as an occupier(s).

PART A

General

1. (a) Name of Occupier

   (b) Name and complete address, location, contact details of the unit (Telephone Nos., fax and e-mail).

2. Status of Occupier: Individual/Proprietary concern/Partnership firm (whether registered or unregistered)/Joint family concern/Hindu Undivided Family/Private Limited Company/Public Limited Company, Government Company: (State Government/Central Government/Union Territory/Public sector undertaking), Any other association or body.

PART B

Information related to Polychlorinated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment in use and their stockpiles

1. Name of manufacture of Polychlorinated Biphenyls and Polychlorinated Biphenyls containing equipment :

   (in use)

2. Type (transformer, capacitor, etc.) :
3. Date of manufacture :
4. (a) Total quantity of Pure Polychlorinated Biphenyls :

   (b) Number of Polychlorinated Biphenyls containing equipment :

   (c) Number of Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment :

   (d) Total quantity of stockpiles of Polychlorinated Biphenyls :

5. Containers for Polychlorinated Biphenyls

   (i) Are containers leak –proof : Yes/No

   (ii) I s the place of storage of Polychlorinated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls contaminated equipments and Polychlorinated Biphenyls contained equipments clearly marked : Yes/No

6. Polychlorinated Biphenyls analysis performed : Yes/No

   If yes, method followed and when?

   Address of factory (ies), premise(s) where Polychlorinated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment is installed/stored (Survey No., Khasra

   No., location as per revenue records of village/Town Tehsil, District Police Station, jurisdiction of the First-Class Magistrate).

PART-C

Information on waste likely to contain Polychlorinated Biphenyls

9. (a) Nature of wastes (e.g. transformer oil in drums, tankers or, reservoirs) :

   (b) Estimated quantity (in tonnes) :

   (c) Brief on how storage of Polychlorinated Biphenyls waste is done:

   (d) Is the place of Polychlorinated Biphenyls waste storage clearly marked : Yes/No

PART-D

Polychlorinated Biphenyls elimination Action Plan

10. (a) Action Plan for Polychlorinated Biphenyls elimination prepared : Yes/No

    (If yes, provide a copy along with time frame for elimination)

    (b) Brief history of any previous remediation efforts, e.g removal of Polychlorinated Biphenyls containing equipment, Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment and Polychlorinated Biphenyls waste for disposal (when, by whom, where to, etc.)

PART-E

Other relevant information

Place, Date Name and signature of applicant

Note: 1. Strike out which is not applicable / relevant.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.